# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 08/2021

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 खुर्शीद पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान कारीगर (बन्दुकिया), निवासी रेण, तहसील मेडता, जिला नागौर।<br>2 मुराद पुत्र जापान जाति मुसलमान कारीगर (बन्दुकिया), निवासी रेण, तहसील मेडता, जिला नागौर। | | 1 जुबेदा पत्नी सजाउदीन जाति मुसलमान कारीगर (बन्दुकिया), निवासी रेण, तहसील मेडता, जिला नागौर।<br>2 मेहबूब पुत्र सफी जाति छींपा मुसलमान<br>3 इरफान पुत्र मेहबूब जाति छींपा मुसलमान निवासीगण रेण, तहसील मेडता जिला नागौर।<br>4 ग्राम पंचायत रेण जरिये तात्कालिक सरपंच राज कंवर, मुकाम पोस्ट रेण, तहसील मेडता, जिला नागौर।<br>5 तात्कालिक ग्राम विकास अधिकारी रामनिवास पिण्डेल हाल निवासी नोखा चांदावता। |

उपस्थिति–

1 श्री रामकिशोर बंग, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से

2 श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994**

**निर्णय**

दिनांक 10.06.2025

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रेण द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 21, दायर दिनांक 07.06.2019, बुक संख्या 27, मिसल संख्या 68/2019–20, से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.01.2021 प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 18.01.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 04 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 05 दिनांक 22.02.21 को न्यायालय मे उपस्थित हुए तत्पश्चात न्यायालय मे गैरहाजिर रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन मे पटटा सं. 54 व 21 की फोटोप्रति, बेचाननामा दिनांक 06.03.2020 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मेडता के प्रकरण संख्या 67/2020 के निर्णय दिनांक 05.07.24 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही गांव के निवासी हैं, प्रार्थीगण संख्या 1 के स्वयं के नाम व उसके पिता अब्दुल रहमान के नाम, प्रार्थीगण संख्या 2 के पिता जापान के नाम व चाचा सुलेमान के नाम जो जापान व सुलेमान प्रार्थीगण संख्या 1 के भाई हैं, जिनके नाम ग्राम पंचायत रेण द्वारा पटटा संख्या 54, मिसल संख्या 35 पटटा जारी दिनांक 26.10.1964 जो ग्राम पंचायत रेण के तात्कालीन सरपंच बिडदीचंद बंग द्वारा 463.75 वर्गगज (2ग2 के गज के हिसाब से) अर्थात 1855 वर्गफुट का जारी किया हुआ हैं, जिसके पाडौस निम्न है–उत्तर में निकाल व रास्ता, दक्षिण में तालाब का नाका, पूर्व में तालाब का नाका, पश्चिम में निकाल व गुजर।

2(2)–उक्त पटटासुद जमीन पर पटटा जारी होने से लेकर आज दिन तक प्रार्थीगण निर्विवाद रूप से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

2(3)–उक्त पटटे के प्लॉट का बंटवाडा प्रार्थीगण संख्या 1 के पिता अब्दुल रहमान व स्वयं व प्रार्थीगण संख्या 2 के पिता जापान के जीवन काल में ही कर दिया गया था, जिसमें जापान व खुर्शीद को बंटवाडे में संयुक्त बढेरो का घर दे रखा था। जिसमें स्वयं प्रार्थीगण संख्या 1 व प्रार्थीगण संख्या 2 के पिता जापान के वारिसान काबिज है। जापान की मृत्यु दिनांक 16.07.1992 को हो चुकी हैं व उक्त प्लॉट 1/2 खुर्शीद व जापान को संयुक्त रूप से पूर्वी हिस्सा व सुलेमान (सलमु) को 1/2 पश्चिमी हिस्सा बंट में दे रखा है। जिसमें उक्त प्लॉट में से 1/2 हिस्से पर वर्तमान में सुलेमान (सलमु) के वारिसान का काबिज हैं,

10/6/25

अपर कलक्टर, नागौर

सुलेमान की मृत्यु दिनांक 20.07.1988 को हो चुकी है, अब्दुल रहमान की मृत्यु दिनांक 13.10.2000 को हो चुकी है। जिसमें अब्दुल रहमान की वारिसान पुत्रियों की शादी कर दी हैं, उनको नगदी, आभूषण दे दिये हैं और उक्त बंटवाडे में उनकी सहमति थी और है। जिससे अब्दुल रहमान के वारिसानों के बीच उक्त पटटे बाबत बंटवाडे का कोई विवाद नहीं है और अब्दुल रहमान के जीवन काल में हुए आपसी पारिवारिक समझौते के अनुसार हुए बंटवाडे पर सभी काबिज है।

2(4)–प्रार्थीगण का उक्त बंटसुदा प्लॉट व दुकाने 1/2 हिस्सा पुराना व जर्जर था, जिससे प्रार्थीगण ने अभी हाल ही में उक्त पुराने मकान को कारीगरों से तुडवाकर नया मकान निर्माण करना चाह रहा है तो प्रार्थीगण ने उक्त माकन को तुडवाकर माल मैटेरियल वहां से हटवाकर साईड में रखवा दिया है। दिनांक 20.09.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण के पैतृक, बंटसुदा उक्त प्लॉट पर आये और प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 से हाथा जोडी की और प्रार्थीगण संख्या 1 ने कहा कि मैं कैंसर पीडित व्यक्ति हूं, वृद्व हूं बीमार हूं, आप हमारे उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई न्यूसैंस पैदा नहीं करें, तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने कहा कि तेरी कोई आल औलाद नहीं है और तू उक्त प्लॉट से क्या करेगा, तेरे यह क्या काम आयेगा, इस प्लॉट पर हम निर्माण कार्य करेंगे और कब्जा करेगे, तुझे कोई निर्माण नहीं करने देगे। तब प्रार्थीगण ने गांव व समाज के मौजीज व्यक्तियों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे पिता के वक्त से आज तक हमें बंट में मिले उक्त मकान भूखण्ड का उपयोग व उपभोग निर्विवाद रूप से करते आ रहे है। तब अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 लडाई झगडा करने परं उतारू हो गये, तब सभी इकटठे हुए व्यक्तियों ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को काफी समझाया, मगर अप्रार्थीगण माने नहीं और एलानिया धमकी देने लग गये कि हम तो उक्त प्लॉट पर कब्जा करके रहेगें और किसी भी सूरत तुम्हें निर्माण नहीं करने देगे, तुम्हें झूठे मकदमु में फंसा देगें। तब प्रार्थीगण ने माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय, मेडता के न्यायालय में दिनांक 25.09.2020 को अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया व अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण अपनी पटटासुद जमीन पर दखल व दस्तअन्दाजी व कब्जा करने से रोकने हेतु पाबंद करने के लिए वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें अप्रार्थीगण की तामील होने पर अप्रार्थीगण ने श्रीमान के न्यायालय में जवाब पेश किया व जवाब के साथ में ग्राम पंचायत रेण के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 जुबेदा के नाम से जारी पटटा क्रमांक 21, दायर दिनांक 07.06.2019, बुक संख्या 27, मिसल संख्या 68/2019–20 का पटटा पेश किया, तब दिनांक 30.09.2020 को प्रार्थीगण को अपनी पटटासुद जमीन का ग्राम पंचायत रेण द्वारा मिली भगती करकें फर्जी पटटा जारी करने का पता चला, तब प्रार्थीगण के होश उड गये और प्रार्थीगण ने न्यायालय से उक्त पटटे बाबत निवेदन किया, तो न्यायालय ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र संख्या 48/2020 खुर्शीद बनाम जुबेदा कोई सिविल न्यायाधीश मेडता में दिनांक 16.10.2020 को दोनों पक्षकारान को सुनकर कमिश्नर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर मौके की यथास्थिति व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों ही मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने बाबत पाबंद किया।

2(5)–ग्राम पंचायत रेण के सरपंच द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अप्रार्थीगण के प्रभाव में आकर ग्राम पंचायत रेण द्वारा प्रार्थीगंण की पटटासुद जमीन पर द्वितीय पटटा जारी कर दिया, जबकि कानून के अनुसार एक ही जमीन के दो पटटे जारी नहीं किये जा सकते हैं, ना ही ग्राम पचांयत में पंचायत एक्ट के कानून के तहत एक महीने का इस्तिहार अखबार में जारी किया और न ही आपत्ति हेतु कोई सूचना पडौसी को या आम जन को दी और अप्रार्थीगण से मिलावट कर उक्त सम्पति के पटटे की जांच किये बगैर ही पटटे पर पटटा जारी कर दिया, जो अवैध व शुन्य हैं, जिसे निरस्त फरमाया जावें।

2(6)–प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के तात्कालीन सरपंच को जाकर निवेदन किया, तो सरपंच ने कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया, जिससे प्रार्थीगण आहत होकर न्यायालय हाजा के समक्ष यह पटटा क्रमांक 21, दायर दिनांक 07.06.2019, बुक संख्या 27, मिसल संख्या 68/2019–20 को निरस्त करवाने हेतु यह रिवीजन पेश की। प्रार्थीगण का पटटा नम्बर 54, मिसल संख्या 35 पटटा जारी दिनांक 26.10.1964 जो ग्राम पंचायत रेण तात्कालीन सरपंच बिडदीचंद बंग द्वारा 463.75 वर्गगज (2ग2 के गज के हिसाब से) अर्थात 1855 वर्गफुट का जारी किया हुआ हैं।

3–अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूरी पालना की है। अप्रार्थी संख्या 01 ने पट्टा बनाने के लिए विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया गया है। उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर पंचो की समिति गठित कर मौका निरीक्षण करवा कर विधिवत आपति नोटिस सूचना चस्पा करके व किसी प्रकार की आपति नहीं आने पर नियमानुसार पटटा जारी किया था। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरूद्व होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये है। न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मेडता के प्रकरण संख्या 67/2020 के निर्णय दिनांक 05.07.24 में मौखिक व दस्तावेजी

अपर कलक्टर, नागौर

साक्ष्य से प्रतिवादीगण ने विवादित स्थल पर स्वयं का कब्जा साबित किया है तथा वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उक्त प्रकरण में वादीगण का कब्जा साबित हो सके, जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा विधि अनुसार जारी किया है, जिससे निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत रेण द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 21, दायर दिनांक 07.06.2019, बुक संख्या 27, मिसल संख्या 68/2019—20, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मेडता के प्रकरण संख्या 67/2020 में प्रार्थीगण द्वारा विवादित जायगा पर अपना कब्जा होने का कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण दिनांक 05.07.2024 को खारिज किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया जाना प्रतीत होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना करते हुए ग्राम पंचायत ने तीन पंचों की नियुक्ति कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी ली गई है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज के नियमों की पालना करते हुए विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस की प्रति पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 07.06.2019 के प्रस्ताव संख्या 03 सर्वसम्मति से पारित कर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। पट्टे के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार रसीद संख्या 77 दिनांक 07.11.2019 द्वारा 200/— रूपये जमा कर पट्टा जारी करने का विनिश्चय किया गया है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6— निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/6/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर